



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1522 वर्ष 2026

विक्रान्त सिंह

..... याची (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा एक अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अरूण भानु शुक्ला, शुभांगिनी द्विवेदी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरी नारायण सिंह

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. कुछ बहस के पश्चात, याची के अधिवक्ता द्वारा संबंधित अधिकारी के पास जाने के स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने के लिए अनुरोध किया गया है।
2. किये गये अनुरोध को अनुज्ञात किया जाता है।
3. रिट याचिका को स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है जैसा अनुरोध किया गया है।

जनवरी 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"